विचार बिन्दु

आतंक का जन्म असंतोष से होता है असमानता से इसे हवा मिलती है और यह अपनी आग में हज़ारों को लेकर जल मरता है। -मुक्ता

बिहार चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां भाग ले रही हैं फिर क्या, संविधान के अनुच्छेद 329 की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 नवम्बर को सुनवाई का कोई औचित्य है?

बिहार एसआईआर अर्थात् Special Instentive Revision of Bihar Electoral Rolls की वैधानिकता यानी चुनाव आयोग के एसआईआर किये जाने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को अन्तिम बहस की सुनवाई के लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4 नवम्बर, 2025 की तारीख नियत की है। इन चुनाव याचिकाओं के दायर करने के बाद अब यह स्थिति बन गई है कि बिहार में 6 नवम्बर व 11 नवम्बर, 2025 को दो फेजेज में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि फाइनल वोटर्स लिस्ट, वोटर्स के नाम काटे जाने व जोडने के बाद, शीघ्र ही प्रकाशित की जावेगी। चुनाव आयोग के इस Submission के बाद अपनी प्रतिक्रिया में खण्डपीठ ने कहा ''हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग अपने उत्तरदायित्व को निभायेगा और लिस्ट प्रकाशित की जावेगी, हम मामले की सुनवाई अभी बंद नहीं कर रहे हैं।'' इससे पूर्व प्रशान्त भूषण एडवोकेट ने अपनी बहस में कहा था कि चुनाव आयोग को अपनी फाइनल लिस्ट के जोडे गये व काटे गये मतदाताओं के नामों का उल्लेख करना होगा साथ ही ऐसा किये जाने के कारण भी बताना होगा।

चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग फाइनल लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहा है; क्योंकि प्रथम फेज के चुनाव हेतु 17 अक्टूबर को नामजदगी पत्र भरने की अन्तिम तारीख है और द्वितीय फेज के हेतु 20 अक्टूबर की। दोनों तारीखें भी निकल चुकी हैं। फाइदल लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने व एडवोकेट वृन्दा ग्रोवर ने अन्य पिटीशनर्स के एडवोकेट ने इंगित किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस आपत्ति पर बहस सुननी है कि क्या चुनाव आयोग को एसआईआर जारी करने का अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष समय-2 पर बहस में आपत्तियां उठाई है। योगेन्द्र यादव ने बहस करते हुये कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जावे कि कितने विदेशियों का नाम मतदाता सूची से काटे गये हैं उनके विवरण प्रकाशित करे, क्योंकि इस संबंध में कई गडबडियां हैं। यह भी आपत्ति उठाई गई है कि थोक में (Mass Exclusion) हुआ है। यह भी कहा गया कि 65 लाख व्यक्तियों के नाम काटे गये हैं और इनके कोई विवरण भी नहीं हैं। यह भी बहस में आया है कि नागरिक कौन है? इसको साबित करने का भार मतदाता पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यह भी बहस में आया है कि चुनाव आयोग को एंड करने का अधिकार नहीं है।

चुनाव आयोग का कथन है कि उन्होंने 65 लाख मतदाताओं के नाम जिन्हें हटाया गया है उनके नाम व कारण के विवरण दिये हैं। आधार कार्ड के आधार पर उन मतदाताओं के नाम जोडने की प्रार्थना पत्र ऑन लाईन पेश करने को कहा है, जिनके नाम हटाये हैं।

चुनाव आयोग ने एसआईआर के समय मुस्लिमों के नाम हटाने के आरोप को झूठा प्रचार कहकर खण्डन किया है और निवेदन किया है ऐसी Communal प्रवृत्ति को Deprecate किया जाना चाहिये। चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई चरणों में आरोपों की जांच की जाकर सत्य को परखा गया है। इस कार्य में 90,000 बूथ लेवल आफिसर्स (BLO) व बूथ लेवल एजेन्ट्स (ALO) जिन्हें राजनैतिक पार्टियों ने नियुक्त किया था, प्रक्रिया में अपना योगदान दिया था। इस प्रक्रिया को घर-2 जाकर जानकारी लेकर पूरा किया गया था। जानकारी से प्राप्त जांच कार डेटा को बेवसाईट पर अपलोड किया था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस जांच में राजनीतिक पाटियों और Public Spirated Organisation ने नहीं के बराबर सहयोग दिया है उनका दृष्टिकोण पूर्णत: नकारात्मक था। अपने शपथ पत्र में चुनाव आयोग ने कहा लगभग 3.66 लाख नाम को वैध प्रक्रिया के बाद ही हटाये गये थे और सत्यता का प्रमाण यह है कि किसी भी व्यक्ति ने इस बाबत अपील दायर नहीं की है। 65 लाख व्यक्तियों के नाम जो मतदाता सूची से हटाये गये हैं वे ऐसे हैं, जिन्होंने कोई वांछित प्रपत्र नहीं भरे हैं अथवा कहीं चले गये हैं और वहाँ बस गये हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है।

चुनाव आयोग का कथन है कि उन्होंने 65 लाख मतदाताओं के नाम जिन्हें हटाया गया है उनके नाम व कारण के विवरण दिये हैं। आधार कार्ड के आधार पर उन मतदाताओं के नाम जोडने की प्रार्थना पत्र ऑन लाईन पेश करने को कहा है, जिनके नाम हटाये हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के समय मुस्लिमों के नाम हटाने के आरोप को झूठा प्रचार कहकर खण्डन किया है और निवेदन किया है ऐसी Communal प्रवृत्ति को Deprecate किया जाना चाहिये। चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई चरणों में आरोपों की जांच की जाकर सत्य को परखा गया है।

राजनीतिक पार्टियां केवल 25 क्लेम नाम जोडने के तथा 119 पर आपत्तियां उठाई हैं। वास्तव में 36,475 जोडने व 2.17 लाख हटाने के क्लेम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुये हैं। दिनांक 16 अक्टूबर 2025 तक फाइनल लिस्ट में जो नाम हटाये गये हैं, कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कुछ लोगों ने व्यर्थ में शोर मचाया है कि 3.66 लाख वोटर्स के नाम उन्हें बिना सुने काट दिये हैं, किन्तु किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है।

65 लाख नाम उन्हीं के काटे गये हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो Migrate हो गये हैं या अन्य दूसरी जगह बस गये हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) में मतदाता हो गये हैं। चुनाव आयोग यह भी स्पष्ट किया है नाम हटाने की उक्त प्रक्रिया भी धारा 17 जनप्रतिनिधत कानून 1951 के अनुसार है। जिनके नाम काटे गये हैं ऐसे 3.66 लाख वोटर्स को नाम काटने से पूर्व ERO/AERO द्वारा नोटिस दिये हैं और सुनवाई का अवसर दिया था तथा Speaking Order पारित किया था और व्यथित व्यक्ति को आदेश की नकल दी थी। इनमें किसी ने भी अपील नहीं की है।

दिनांक 16.10.2025 तक 21.53 लाख नये मतदाता जोडे गये हैं और बिहार की फाइनल (अन्तिम) मतदाता सूची में 7.42 करोड मतदाता हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति उठाई गई है कि एसआईआर करने का अधिकार जनप्रति अधिनियम, 1951 में नहीं है अत: कार्यवाही अवैध है। इसका स्पष्ट उत्तर संविधान के अनुच्छेद 324 सपठित अनुच्छेद 327, 328 व 329 में देखा व पढा जा सकता है।

यहां यह कहना आवश्यक है कि किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है, वहां चुनावों की प्रक्रिया की शुद्धता पर ही उसकी प्रगति व सफलता निर्भर करती है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदो, विधायकों, संवैधानिक पदों के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग को दिया है। संविधान के अनुच्छेद 326 में चुनाव में मतदाता को वयस्क मताधिकार दिया है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे मतदाता माना है। चुनावों की प्रक्रिया क्या होगी, इसके सम्बन्ध में संसद को अधिकार दिया है, वह कानून बना कर संचालन की व्यवस्था करेगी, जो संविधान के उपबन्धों के अधीन होगी। इसका अर्थ है कि संसद का कानून किसी भी प्रकार अनुच्छेद 324, 325, 326, 327 व 328 में दिये गये अनुबन्धों को सीमित नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 329 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन (चुनाव) के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित कर दिया। हाँ, यदि कोई निर्वाचन सम्बन्धित मामला है तो वह चुनाव याचिका दायर कर ही निर्णित कराया जा सकेगा। चुनाव याचिका सुनने का अधिकार राज्यों के हाईकोर्ट को दिया गया है।

केस के तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार चुनाव मतदाता की फाइनल सूची जारी हो चुकी है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार में दिनांक 6 नवम्बर, 2025 व दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को मतदान होने वाला है। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित किया गया तथा विवाद का निपटारा केवल चुनाव याचिका के माध्यम ही से किया जा सकता है।

साथ ही प्रश्नगत याचिकायें जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् की गई हैं, PIL हैं उनकी वैधता की भी परीक्षा करनी होगी। अनुच्छेद 32 के तहत् नागरिक के व्यक्तिगत मूल अधिकारों के खण्डित होने पर ही की जा सकती है जबकि यह प्रश्न यहां पर नहीं है। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है किन्तु मूल अधिकार (Fundamental Right) नहीं है और PIL भी किसी नागरिक के मूल अधिकार से सम्बन्धित नहीं है तथा कई प्रकार के विवाद जो बहस में उठाये गये हैं वे तथ्यों पर आधारित हैं। अत: माननीय सुप्रीम कोर्ट इन प्रश्नों पर सुनवाई कर याचिकाओं का निस्तारण करेगी ऐसी अपेक्षा की जाती है।

सुनवाई दिनांक 4 नवम्बर, 2025 को होने जा रही है देश की न्याय प्रिय जनता देश के सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की प्रतीक्षा में है।

सबको सन्मति दे भगवान्!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

प्रेम में विरह की पीड़ा को स्वर देती है ''रिंकी टेलर'' की कविताएं

पुस्तक चर्चा/ बीएल सहारण

राजस्थानी-हिंदी में समान अधिकार से लिख रहे कवि-लेखक कुमार अजय की राजस्थानी कविता पुस्तक 'रिंकी टेलर' संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति का युग-बोध की भाव-भूमि पर उकेरन है। इस काव्य-संठाह में छोटी-बड़ी 83 राजस्थानी कविताओं को संकलित किया गया है। एकता प्रकाशन, चूरू से वर्ष 2020 में प्रकाशित इस पुस्तक का आवरण प्रख्यात चित्रकार रामकिशन अडिग की तूलिका का कमाल है। अडिग ने मन के संवेदन को रेखाओं के रंग-संयोजन से धड़कन दी है।

चूरू के गांव घांघू के रहने वाले कुमार अजय इन दिनों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर में उप निदेशक हैं। लेखक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी के चुनिंदा डायरी लेखकों में उनका शुमार होता है। राजस्थानी भाषा में उनकी कलम कविता रचने में अधिक रमी है। लेखक का मन प्रेम में वियोग की दशा के चित्रण में जितना रमा है, उतना संयोग में नहीं। राजस्थान की संस्कृति के साथ-साथ शहरी जीवन से अछूती देहात की उप संस्कृति का चित्रण अजय ने अधिकारपूर्वक किया है, वहीं बदलते सामाजिक मूल्यों पर धारधार व्यंग्य से मन को खुरचने में भी वे सफल रहे हैं।

'रिंकी टेलर' में प्रेम की पीड़ा को जुबान मिली है। यहां पीड़ा का आर्तनाद नहीं है बल्कि यादों के भंवर में आत्ममुग्धता है। कवि का आत्मबोध मन की संवेदनाओं की उपज है। मन के उद्वेलन में वे कवि सीमा का उल्लंघन कर दार्शनिक बन जाते हैं। यद्यपि विषय प्रेम है किंतु कवि अक्सर इस प्रेम को दर्शन के सांचों में ढालते नजर आते हैं। समाज में पनपती विडंबनाओं पर प्रश्न अवश्य खड़े करते हैं पर उत्तर नदारद हैं। रिंकी टेलर के बहाने कवि गांव का कोना-कोना झांक आए भी हैं और उन कोनों को भी जुबान भी बखूबी दे रहे हैं।

इस संकलन की प्रथम कविता 'म्हैं वठै थन्नै हेरूं' की ऐनक से स्मृतियों के क्रीड़ांगनों में रिंकी की अठखेलियों को देखा है और 'अर खुद न जीयो' के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रेम की क्रीड़ा भूमि भले ही दुकान, स्कूल, हनुमान मंदिर हो पर इसकी भाव-भूमि उज्ज्वल मन है। कवि ने मन की संवेदना को निश्छल कपट कहा है। इस 'निश्छल कपट' की अवधारणा में प्रेम का उदात्त रूप समाहित है। 'अठै है कै वठै है थूं, नीं है तो पछै कठै है थूं' में अजय कवि से दार्शनिक बन जाते हैं। रिंकी टेलर कौन है, यह तो कुमार अजय जानें लेकिन कवि ने यहां रिंकी टेलर के किरदार और मुहब्बत को राजस्थानी भाषा की रवानी से कविता में सजीव कर दिया है।

कविता की मूल संवेदना भले ही प्रेम हो पर कवि का गांव-गुवाड़ से मोह प्रांरभ से अंत तक दिखा है। ठेठ देहात के प्रतीकों 'चिड़कल्यां', 'ठीयौ', 'गळियां रो मूंन' के जरिए उन्होंने संवेदनाओं को चेतना प्रदान की है। 'वठै केई चिड़कल्यां दापळी बैठी हैं', 'पोथ्यां रा फाटेड़ा पानां फड़फड़ावै', 'दुकानां री चेळ' जैसे दृश्य बिंबों द्वारा और 'हणंमान मिंदर री आरती', 'घरां रै रोळैरब्बै' जैसे श्रवण बिंबों से कविता को ताजगी प्रदान की है।

इस काव्य संग्रह की दूसरी कविता 'ओळख' के माध्यम से कवि ने गांव की धमनियों में धड़कते अतीत को शब्द बिंबों से जीवंत करते हुए बदलती युग चेतना को साकार किया है। 'रैयग्यौ फगत फोटुवां मांय' के माध्यम से कवि ने गांव-देहात के पुराने दृश्यों के गायब होने और फोटो में ही अस्तित्व में होने का उल्लेख कर परोक्ष रूप से फोन की भूमिका की ओर संकेत किया है। 'ओळख' कविता में कवि देहात की गलियों, पीपळ, स्कूल, गुवाड़ की धूणी, मन्दिर तक पहुंचे हैं और सटीक शब्द चयन, प्रतीकों, उपमानों एवं भावानुरूप भाषा के माध्यम से बचपन को वर्तमान से जोड़ते समय अंतर को चिह्नित करते हैं। कविता में पीपळ के संदर्भ में पंक्ति 'कै ठाडां रै कुहाड़ै सूं डरनै कर लीन्हौ आपघात' के माध्यम से मानवीकरण जैसे पाश्चात्य अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। गुवाड़ की धूणी का उल्लेख कर गांव के उस सामाजिक-जीवन के खात्मे पर हताशा प्रकट की है जो रिश्तों में मधुरता घोलता था, आपसी संबंधों में सुलझाव का माध्यम बनता था। गांवों में मसखरी का प्रचलन व्यंग्य-विनोद का माध्यम था। बदलते परिवेश में उस तरह मसखरी झेलने का संयम और कहने का साहस व ठस्सा अब चलन से दूर हो गया है।

कवि होळीधोरै की फीकी होली, बालाजी जांट की रौनक, चैमासे की होड़ और गली-चैराहों, गुवाड़, मंदिर, स्कूल, ढफ, दरख्त, पर बदलते समय की चोट के नई 'ओळख' बन जाने की बात रिंकी से साझा कर उससे जुड़ते हैं और अपनी वेदना कम करना चाहते हैं। काव्य की भाषा राजस्थानी का आधुनिक रूप है। गाँव-देहात को यादों में संजोने के लिए कवि ने अपने अंचल की पृष्ठभूमि प्रदान की है इसलिए बागड़ी और ढूंढाड़ी के शब्द और कहीं-कहीं उनका व्याकरणिक स्वरूप भी प्रवेश कर गया है। प्रतीकों और उपमानों के चयन में हिंदी काव्य परंपरा का प्रभाव है जबकि बिंब ठेठ देसी और मौलिक हैं। अभिव्यक्ति इतनी संक्षिप्त, सटीक और उत्कृष्ट है कि कुछ पंक्तियां सूक्ति की शक्ल में ढल गई हैं।

कविता 'बीजौ मारग नीं' में माटी, पानी, और हवा में घुले रिंकी टेलर के हेत को अपने प्रेम का प्रतिरूप मान लेते हैं लेकिन 'बीजौ मारग नीं' द्वारा अपनी विवशता भी कह जाते हैं। 'चरपरै' जैसे विशेषण का प्रयोग कर कवि ने राजस्थानी की शब्द-समृद्धता को उद्घाटित किया है और यह भी बताया है कि राजस्थानी के पारिभाषिक शब्द उधारे नहीं है। 'ओळूं रै समदर', 'चढतै फागण रै धमाल' जैसे रूपक सजीव बन पड़े हैं। 'मांडणा' में कवि अबूझ पहेली बने हैं तो 'अबै म्हैं वौ नीं' समय के पहियों के साथ बदले मन की धमक है। 'मुळक' और 'चितरांम' लघु कविताओं में आत्मबोध की गूंज है।

पुस्तक की कविता 'थूं है किण गुमांन मांय' परस्पर अनुरक्ति का उज्ज्वल रूप है। प्रेम प्राय: समानांतर होता है। यह संभव नहीं कि एक पक्ष अप्रभावित या निरपेक्ष बना रह सके। 'सोवणी है दुनिया' में कवि दुनिया को घणी सोवणी कहकर दुनिया के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, साथ ही भले मिनख के हेत में बावले होने की बात कहकर परस्पर विरोधाभास की स्थिति बना देते हैं। 'जीवणौ तो पड़सी रिंकी' में प्रेम विवश है तो 'सपनौ' में स्वप्न के रोमांच के साथ भागती दुनिया के विवश दिन की कहानी है। सपने के लिए 'लोहीझरांण' प्रयोग यद्यपि अनूठा है परंतु यह विशेषण बेमेल है। 'बदळाव', 'असर' 'बांण' जैसी कविताएं बदलते परिवेश और घटित होते वर्तमान के साथ आत्मबोध की तूलिका से शब्दों की उकेरन है। 'बदळाव, 'असर' 'बांण' जैसी कविताओं में अजय बदलते परिवेश और घट रहे वर्तमान के बीच के अंतर को आत्मबोध की नपनी से नापने में सफल रहे हैं।

यह काव्य संग्रह कवि का अपनी प्रेमिका 'रिंकी टेलर' से एकतरफा संवाद है। रिंकी और यह संवाद ज्ञानेंद्रपति की चेतना पारीक (ट्राम में एक याद) की याद दिलाता है। इस संवाद में रिंकी एक केवल एक श्रोता है, जो हर जगह उपस्थित रहते हुए भी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। अत: इस काव्य संग्रह को प्रबंध कहना न्यायोचित नहीं है। कुछ छोटी कविताएं मुक्तक की तरह हैं। यह मुक्तक और प्रबंध से इतर कवि की अपनी शैली है जिसमें उन्होंने आत्मबोध को संवाद का माध्यम बनाया है। इस काव्य-संग्रह की कविताएं बदलते मूल्यों और चेतना को आईना दिखाती हैं। कविताओं के दृश्यों में देहात की उप संस्कृति है जो विगत हो चुकी है। राजस्थानी साहित्य जगत और पाठकों के मानस में ये कविताएं लंबे समय तक बनी रहेंगी।

-बी.एल. सहारण

पेंशन का पंचनामा : ओ.पी.एस, एन.पी.एस., यू.पी.एस., ई.पी.एस.

सरकार पेंशन देने से हाथ खड़े करने जा रही है

राम निवास बैरवा

11 अक्टूबर, 2025 के समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है- JÛw बंद करने का ट्रायल, सफल रहा तो सभी विभागों में लागू होगा।

24 मार्च, 2023 को ओ.पी.एस. नामक एक योजना लागू करने का आदेश राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला गया था।

कई वर्षों से पी.एफ. और पेंशन के मामलों में राज्य सरकार के भी कई स्वायत्तशासी संस्थान, जिन पर ई.पी.एस. 1995 लागू है, मुझसे सलाह लेते रहे हैं। ओ.पी.एस. संबंधी आदेश के बाद कई संस्थानों ने व्यक्तिगत रूप से और लिखित में भी सलाह ली थी- उन संस्थानों का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर निष्कर्षों को यहां बताना चाहूंगा।

एक संस्थान में वहां के प्रशासन को देखने वाले आर.एस.एस. अधिकारी, लेखाधिकारी आदि की उपस्थिति में मैंने यह बताया था कि ओ.पी.एस. कोई योजना नहीं है। चूंकि यह केवल एक विभागीय परिपत्र है जिसमें ''पेंशन के किसी भी नियम का हवाला नहीं है''। जब विभागाध्यक्ष आई.ए.एस. अधिकारी की तरफ से ओ.पी.एस. को लागू करने का दबाव देने की बात बताई तब स्पष्ट रूप से यह बात की थी कि आई.ए.एस. अधिकारी सिर्फ सरकार की नियम और आदेशनुसार काम करते हैं। उसके दूरगामी परिणामों के बारे में चर्चा करना उन्हें पसन्द नहीं है। अन्यथा, 1995 के पहले तक अन्तर्विभागीय, अन्तरसरकारी किसी भी नियम कानून के क्रियान्वयन के बारे में कोई अड़चन आने पर विभागाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर विचार-विमर्श करके उनका समाधान निकाला करते थे। ऐसे ही एक अन्य संस्थान ने लिखित में राय मांगी थी। तब उस लिखित सलाह में उनको साफ तौर पर कहा था- ओ.पी.एस. यानि कि पुरानी पेंशन योजना में यह पुरानी पेंशन योजना कौन सी है उक्त आदेश दिनांक 24 मार्च, 2023 में उस पुरानी पेंशन योजना का कोई हवाला नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ, निरन्तर सेवा देने वाले कर्मचारियों की पेंशन योजना का मूल तत्व होता है- डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के साथ डिफांइड बेनीफिट। जब कोई योजना ही डिफाइंड नहीं होगी तो डिफाइंड बेनीफिट का कोई अस्तित्व नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि सेवारत कर्मचारियों को दीर्घकाल तक पेंशन देय होती है अत: उसके पीछे संवैधानिक समर्थन के लिए कोई कानूनी समर्थन आवश्यक है वह ओ.पी.एस. में नहीं है।

चौथा बिंदु यह है, ओ.पी.एस. संबंधी उक्त आदेश में पेंशन देने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अगर वह अपने अस्तित्व के लिए आर्थिक समस्याओं से ही लड़ रही है तो दीर्घकाल के लिए सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन कहां से मिलेगी।

चूंकि ऐसे संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंधी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत डिफाइंड पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अत: एक वैधानिक समस्या यह भी है कि ई.पी.एफ.ओ. के पास जमा पी.एफ. और पेंशन राशियां उन कर्मचारियों को या उन पेंशन वितरक संस्थानों को नहीं दी जा सकती है क्योंकि ओ.पी.एस. का कथित आदेश बिना किसी वैधानिक मान्यता के है अत: कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत न तो छूट दी जा सकती है और न ही उन्हें उस अधिनियम और पेंशन योजना, 1995 से मुक्त किया जा सकता है। ऐसी दशा में यदि भविष्य निधि और पेंशन का अंशदान ई.पी.एफ.ओं. में जमा नहीं करवाया जाता है तो वह अक्षम्य चूक होगी जिसके लिए देय राशियों के निर्धारण के अलावा क्षति और ब्याज वसूल किया जाना तय है। अंतत, सरकार पेंशन देने से हाथ खड़े करने जा रही है। यह कर्मचारियों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा कर चुका है।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

तापमान में गिरावट का दौर शुरू

बीकानेर, (निसं)। यहां पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार को भी पारा सामान्य से करीब डेढ़ डिग्री सेल्सियस कम रहा, वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट की गति कम है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दो डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने की उम्मीद जताई है। धीरे-धीरे बीकानेर सर्दी की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से कम है, जबकि रात का पारा यानी न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही है। न्यूनतम तापमान 1 दिन पहले 21.8 डिग्री सेल्सियस था। इसमें करीब 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग ने तापमान में कुछ दिनों में और कमी आने की उम्मीद जताते हुए सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। हालांकि बीकानेर सहित प्रदेशभर में कहीं भी बारिश की उम्मीद नहीं है। दो दिन पहले बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में बारिश का असर देखने को नहीं मिला। बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में भी तापमान में कम हो रहा है। चूरू में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। वहीं हनुमानगढ़ में ओर गंगानगर में भी पिछले दिनों की तुलना में हवा में ठंडक का एहसास है। बीकानेर में 5 नवम्बर के बाद सर्दी तेज हो जाएगी।

राशिफल शुक्रवार 24 अक्टूबर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र शनिवार प्रात: 7:52 तक, सौभाग्य योग शनिवार प्रात: 5:54 तक, तैतिल करण दिन 12:03 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात 1:20 तक है। रवियोग प्रात: 6:40 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सम्पूर्ण दिन-रात है। आज बुध वृश्चिक में 12:37 पर प्रवेश करेगा। आज से जमादि-उल-अव्वल मु.मास 5 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:59 तक, लाभ अमृत 7:59 से 10:47 तक, शुभ 12:11 से 1:35 तक, चर 4:23 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:35, सूर्यास्त 5:47

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मकर
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आज अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कर्क
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।